की प्रकृति की दृष्टि से सशक्तिकरण के उपागम में उत्पादक व पुनरूत्पादक कार्य एवं कल्याण के सरोकारों आदि के एकीकरण की आवश्यकता है।

महिलायें फिर चाहे वे शहरी क्षेत्र की निवासी हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र की, उनकी स्थिति संतोषजनक नहीं है। सशक्तिकरण में दो बिन्दुओं को समाहित किया गया है। पहला आर्थिक सशक्तिकरण और दूसरा व्यक्तिगत सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत वे किसी न किसी प्रकार की आय अर्जक गतिविधि को संचालित कर सशक्त हो सकती हैं लेकिन व्यक्तिगत सशक्तिकरण की स्थिति अभी भी अस्पष्ट है। अभी भी महिलायें अपने अधिकांश कार्यों के लिए पुरुषों पर निर्भर हैं। उपर्युक्त लगभग सभी अध्ययनों में पाया गया कि समूहों के माध्यम से तो महिलाओं को आय संबंधी कार्यों से जोड़ा जा सकता है लेकिन स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता, परिवार के सदस्यों पर आधिकाधिक आश्रित होना आदि ऐसी बातें हैं जो उनके सशक्तिकरण के मार्ग में बाधक का काम करती है। पंचायतीराज संस्थाओं के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण का मुद्दा राजनीतिक एवं सामाजिक एजेंडे में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं की अधिकाधिक भागीदारी को नीतिगत प्रश्रय देकर प्रशासन का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं में ऐसे प्रयास भी हो रहे हैं जिनसे आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं की पहुँच बढ़ाकर उनको सशक्तिकृत किया जा सके। चूँकि वर्तमान समय में ग्राम सभा सामुदायिक भागीदारी का सबसे सशक्त माध्यम है लेकिन उपर्युक्त आलेखों में ग्राम सभा के साथ समूह के सदस्यों की अंतःक्रिया को विश्लेषित नहीं किया गया है। अतः इन्हीं सब बातों को इस अध्ययन में विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

अध्याय–3
शोध विधि

3.0 भूमिका

किसी भी अनुसंधान कार्य में प्रयुक्त होने वाली पद्धति उस अध्ययन को सुनिश्चित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण आधार है। प्राकृतिक विज्ञानों में जहाँ अध्ययन पद्धति गणना एवं उपकरण उन्मुख होती है और उसके विभिन्न पद स्वतः तटस्थ होते हैं एवं मानवीय संवेदनाएँ, भावनाएँ तथा सामाजिक वातावरण अध्ययन को प्रभावित करने वाले कारक लगभग नही होते, वहीं सामाजिक अनुसंधानों में उनका अध्ययन क्षेत्र ही प्रयोगशाला का कार्य करता है, जिसके अपने विशिष्ट सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिमान हैं जो अन्य क्षेत्रों से अलग हैं। ऐसे में सामाजिक अनुसंधानों में अलग–अलग पद्धतियाँ लागू की जाती हैं। इसके अतिरिक्त एक ही अध्ययन में विषय–वस्तु एवं आवश्यक जानकारी एकत्र करने के क्रम में अधिकांशतः एकाधिक पद्धतियों का प्रयोग भी वांछित होता है।

अलग–अलग कालखण्डों में समाज विज्ञानियों ने अनुसंधान प्ररचना के अनेक आधार विकसित किये हैं परन्तु अधिकांशतः अध्ययन के उद्देश्य एवं उपागम के आधार पर अनुसंधान प्ररचनाओं का निर्माण किया जाता है। समाजशास्त्रीय अनुसंधानों में वैज्ञानिकता के साथ अध्ययन को सम्पन्न करने हेतु यथार्थवादी उपागम, प्रत्यक्षवादी उपागम एवं लोकविधि उपागम जैसे अनेक उपागमों की अवधारणा समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई हैं। कॉम्ट द्वारा प्रत्यक्षवादी उपागम की स्थापना का मूल उद्देश्य सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिकता को सुनिश्चित करना था तो दुर्खीम ने इसमें वैषयिकता को विकसित किया। इसी प्रकार गारफिंकल की लोकविधि अथवा मानवशास्त्रीय पद्धति का उद्देश्य मनुष्य की यथार्थता से परे उन प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन का विकास करना था जो सामाजिक यथार्थ का निर्माण करती है। आधुनिक प्रचलित उपागमों की बात करें तो वर्तमान में समाजशास्त्रीय अध्ययन में अनुभवसिद्ध एवं तथ्यात्मक विश्लेषण पर विशेष बल देते हुये व्यावहारिक समाजशास्त्र एवं सामाजिक इंजीनियरिंग जैसी समाजशास्त्र की आधुनिक शाखाओं का विकास हो रहा है।

अध्ययन के उद्देश्यों एवं उपागम को एक साथ मिलाकर देखें तो मौटे तौर पर अनुसंधान प्ररचना तीन प्रकार की हैं – अन्वेषणात्मक, विवरणात्मक एवं प्रयोगात्मक अनुसंधान प्ररचना।

प्रस्तुत अध्ययन में विवरणात्मक शोध प्ररचना का उपयोग किया गया है। इस प्ररंचना के अंतर्गत तथ्यगत जानकारी एकत्र की जाती है। इसमें सर्वप्रथम चरों की मापन विधि का निरूपण किया जाता है। उसके पश्चात् समग्र व निदर्श का निश्चयन तथा निदर्श के आकार एवं चयन विधि का निर्धारण किया गया। निदर्श के चयन के बाद सामग्री संकलन की प्रविधि का चयन तथा सामग्री संकलन के उपकरणों का निर्माण कर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़ों के संग्रहण के बाद उसका प्रक्रमण तथा विश्लेषण का कार्य किया जाता है।

प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिये अनुसंधान की आवश्यकतानुसार किसी एक प्ररचना का प्रयोग करते हुये एकाधिक अध्ययन पद्धति एवं तकनीक प्रयुक्त होती हैं यथा–अवलोकन, साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, वैयक्तिक अध्ययन इत्यादि। इस अध्याय में इन्हीं प्ररचना एवं पद्धतियों को ध्यान में रखते हुये, अध्ययन हेतु सटीक प्ररचना एवं पद्धति के चयन का प्रयास किया गया है।

3.1 उद्देश्य

समाजविज्ञान में किसी भी समस्या के अध्ययन करने हेतु सर्वप्रथम एक सामान्य उद्देश्य होता है तथा उस सामान्य उद्देश्य को समग्रता से पूर्ण करने के लिए कुछ विशिष्ठ उद्देश्य होते है। इन विशिष्ठ उद्देश्यों के माध्यम से उस समस्या पर अध्ययन को प्रारंभ किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन का सामान्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में समहित समूहों की भूमिका का अध्ययन करना है तथा इस सामान्य उद्देश्य के विशिष्ट उद्देश्य एक से अधिक होते हैं। प्रस्तुत अध्ययन को निम्न विशिष्ट उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है –

1. जिला गरीबी उपक्रमण परियेाजना (DPIP) में महिला सशक्तिकरण की संभावनाओं की पहचान करना;
2. महिलाओं की समहित समूहों के गठन, विकास व प्रबंधन में भागीदारी के स्तर को समझना;
3. आजीविकावर्धन हेतु किये जा रहे प्रयासों की स्वपोषिता/ संवहनीयता (Sustainability) में महिलाओं की भूमिका को समझना;

4. ग्राम स्तर पर विकासात्मक संस्थाओं के निर्माण में महिलाओं की भूमिका को समझाना; एवं
5. डीपीआईपी द्वारा किये जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में आये परिवर्तन को समझना।

3.2 उपकल्पना

शोध करने से पूर्व दो बातें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला उस विषय पर शोध करने का उद्देश्य तथा उसका संभावित परिणाम। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत संभावित परिणाम को उपकल्पना कहा जाता है। डुनहम के अनुसार उपकल्पना शोधकर्ता को कार्य को दिशा प्रदान करती है और यह बताती है कि क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ देना है? उपकल्पना से शोध का कार्यक्षेत्र निर्धारित होता है, आगे का मार्ग व दिशा स्पष्ट होती है। उपकल्पना के आधार पर ही शोध के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। सभी प्रकार के शोध करने के पीछे कोई न कोई उपकल्पना अवश्य होती है। बिना उपकल्पना के किसी भी प्रकार का शोध नहीं किया जा सकता। किसी भी शोध की उपकल्पना अवश्य होती है चाहे वह एक हो अथवा एक से अधिक। यह आवश्यक नहीं है कि अध्ययन द्वारा सभी उपकल्पनाओं की पुष्टि होती हो। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी भी उपकल्पना की पुष्टि नहीं होती। उपकल्पना के माध्यम से ही हमें शोध करने की दिशा प्राप्त होती है। जार्ज कैसवेल ने उपकल्पना को अध्ययन विषय का वह काल्पनिक एवं अस्थायी निष्कर्ष बताया है जिसकी सत्यता केवल वास्तविक तथ्य ही प्रकट कर सकते हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उन्हें समहित समूहों में संगठित करना एक सार्थक एवं उपयोगी कदम होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन निम्न उपकल्पना को ध्यान में रखते हुए संपन्न किया गया है–

''महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु उन्हें समहित समूहों में संगठित करना एक सार्थक एवं उपयोगी कदम है।''

इस परिकल्पना एवं आर्थिक संसाधनों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण विषय पर उपलब्ध अध्ययन सामग्री की समीक्षा से निम्नलिखित मुख्य प्रश्न उभरते हैं जिनका उत्तर प्रस्तावित शोध में देने का प्रयास किया गया है।

1. आर्थिक संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ने से उनका सशक्तिकरण हुआ है और जैसे-जैसे आर्थिक संसाधन तक महिलाओं की पहुँच बढ़ेगी उनका सशक्तिकरण भी होगा।
2. आर्थिक संसाधनों पर महिलाओं की निर्भरता अधिक होने से इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति बेहतर होगी।
3. महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में परिवर्तन होने से उनका वास्तविक सशक्तिकरण भी होगा।
4. सशक्तिकरण बढ़ने से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

उपर्युक्त उपकल्पनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में महिलाओं के सशक्तिकरण में समहित समूहों की भूमिका का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। साथ ही इस अध्ययन में यह भी जानने प्रयास किया गया है कि समहित समूहों की सदस्यता ने महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति को किस तरह से प्रभावित किया है।

3.3 अध्ययन की आवश्यकता

भूमंडलीकरण के इस दौर में किसी भी सरकार के सम्मुख यदि कोई प्रमुख समस्या है तो वह है गरीबी, बेरोजगारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य का प्रबंधन। इनमें सबसे प्रमुख है उसके नागरिकों के मध्य गरीबी को दूर करना। जैसे-जैसे देश अथवा प्रदेश आर्थिक विकास के दौर में आगे बढ़ता जाता है उसके लिए रोजगार परक जीविकोपार्जन के अवसरों में भी वृद्धि होती जाती है और इसी के माध्यम से वह गरीबी को संबोधित करता है। जब विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम या योजनाओं को और अधिक प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता होती है। इन्हीं प्रक्रियाओं में शामिल है महिला सशक्तिकरण का मुद्दा। चूँकि महिला सशक्तिकरण जिला गरीबी उपक्रमण परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है इसलिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि इस परियोजना में महिला सशक्तिकरण के लिए अपनायी गई रणनीतियों, कार्यों, नवाचारों, उपलब्ध धन राशि के उपयोग आदि का एक विश्लेशणात्मक अध्ययन किया जाये जिससे प्राप्त उपलब्धियों, असफलताओं, प्रक्रियात्मक गुण-दोषों आदि की समझ विकसित की जा सके तथा जिसका उपयोग महिला सशक्तिकरण की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जा सके।

3.4 अध्ययन क्षेत्र

3.4.1 समग्र

प्रस्तुत अध्ययन महिलाओं के सशक्तिकरण में समहित समूहों के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों को जानने के लिए मध्यप्रदेश में किया गया है। मध्यप्रदेश 308 हजार वर्ग कि.मी. में फैला हुआ है। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल जनसंख्या 7,25,97,565 है जिसमें से 3,76,12,920 पुरूष तथा 3,49,84,645 महिलायें हैं। कुल जनसंख्या का 15.61 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा 21.08 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। प्रदेश में लिंगानुपात 930 अर्थात् प्रति 1000 पुरूषों पर 930 स्त्रियाँ हैं। साथ ही प्रदेश की कुल साक्षरता की दर 70.6 है जिसमें से 80.5 प्रतिशत पुरूषों में तथा 60 प्रतिशत महिलाओं में है। यदि जनसंख्या को ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के तहत विभक्त करें तो पाते हैं कि कुल जनसंख्या का 72.36 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में तथा 27.64 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में निवास करता है। मध्य प्रदेश कुल 10 संभागों में विभक्त है। ये 10 संभाग पुनः 51 जिलों में विभक्त है। प्रस्तुत अध्ययन भोपाल संभाग के रायसेन जिले में किया गया है। भोपाल संभाग में कुल पाँच जिले यथा भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा विदिशा आते हैं। पाँचों जिलों की जानकारी निम्नांनुसार हैः–

तालिका 3.1

भोपाल संभाग के जिलों की जानकारी

स.क्र.	जिला	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	लिंगानुपात	महिला साक्षरता का प्रतिशत
1	भोपाल	2368145	19.14	911	76.6
2	रायसेन	1331699	77.21	899	65.1
3	राजगढ़	1546541	82.11	955	49.8
4	सीहोर	1311008	81.05	918	58.9
5	विदिशा	1458212	76.72	897	61.7

स्त्रोतः जनगणना 2011

उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले पाँच जिलों में भोपाल जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है तथा सबसे कम जनसंख्या सीहोर जिले की है। यदि ग्रामीण जनसंख्या की स्थिति देखें तो पाते हैं कि भोपाल जिले में सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या है और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या राजगढ़ जिले में है। लिंगानुपात की दृष्टि से सबसे अधिक लिंगानुपात राजगढ़ जिले में है और सबसे कम विदिशा जिले में। वहीं यदि महिला साक्षरता की स्थिति देखें तो सर्वाधिक साक्षरता भोपाल जिले में तथा सबसे कम राजगढ़ जिले में है। अध्ययन हेतु रायसेन जिले का चुनाव इसलिए किया गया क्योंकि यह अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ा है और सबसे पहले समहित समूहों की कार्यप्रणाली इसी जिले से प्रारंभ हुई। विकास की दृष्टि से भोपाल को छोड़कर अन्य सभी जिले लगभग समान हैं। रायसेन जिले का चयन करने का उद्देश्य यह भी था क्योंकि यहीं वह जिला है जहाँ गैरतगंज विकासखंड में सर्वप्रथम इस परियोजना को प्रारंभ किया गया।

3.4.2 निदर्श

प्रस्तुत अध्ययन रायसेन जिले के ग्रामीण समहित समूहों की महिला सदस्यों पर किया गया है। रायसेन जिला सात विकासखण्डों में विभाजित है। यह अध्ययन जिले के गैरतगंज विकासखण्ड में किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार गैरतगंज विकासखण्ड की कुल जनसंख्या 125018 है जिसमें से लगभग 53 प्रतिशत पुरुष तथा 47 प्रतिशत महिलाओं की जनसंख्या है। विकासखण्ड की कुल जनसंख्या में से 20.15 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा 12.65 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। विकासखण्ड में साक्षरता की स्थिति देखें तो पाते है कि यहाँ की कुल साक्षरता 78.79 प्रतिशत है। इस साक्षरता दर में 57.21 प्रतिशत पुरुषों की तथा 42. 79 प्रतिशत महिलाओं की है। विकासखण्ड में कुल जनसंख्या का 50.95 प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या है। इस कार्यशील जनसंख्या में से 65.22 प्रतिशत पुरुष जनसंख्या तथा 34.78 महिला हैं।

यादृच्छिक अर्थात् रेंडम निदर्शन के माध्यम से अध्ययन हेतु गैरतगंज विकासखंड के 5 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया। ये ग्राम पंचायत हैं – सांकल, चांदपुर, वनखेड़ी, पेनगांव तथा वाढेर। सांकल ग्राम पंचायत के अंतर्गत सांकल व गुलाबगंज जमुनिया, चांदपुर पंचायत के अंतर्गत चांदपुर तथा खेजड़ा महलपुर, वनखेड़ी पंचायत के अंतर्गत वनखेड़ी, सगोनिया व खैरखेड़ी, पेनगांव पंचायत के अंतर्गत पेनगांव व चांदोनीगढ़ी तथा वाढेर पंचायत के टीलाखुर्द ग्राम का चयन किया गया। इस प्रकार

अध्ययन हेतु कुल 10 ग्रामों का चयन किया गया है। प्रत्येक चयनित ग्राम में औसतन 5–6 समहित समूह कार्यरत हैं जिसमें से 2–3 समहित समूह महिलाओं के हैं। परियोजना के नियमों के अनुसार किसी भी महिला समहित समूह में न्यूनतम 5 तथा अधिकतम गाँव की पूरी महिलायें सदस्य के तौर पर कार्य कर सकती हैं। ग्रामवार अध्ययन हेतु चयनित उत्तरदाताओं की जानकारी निम्न तालिका में दी गई है।

तालिका 3.2

ग्राम पंचायत, ग्राम, चयनित समहित समूहों की संख्या तथा उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्रमांक	पंचायत	ग्राम का नाम	चयनित समहित समूहों की संख्या	सदस्यों/उत्तरदाताओं की संख्या
1	सांकल	सांकल	2	20
		गुलाबगंज	2	20
2	चांदपुर	चांदपुर	2	20
		खेजड़ा महलपुर	2	20
3	वनखेड़ी	वनखेड़ी	2	20
		सगोनिया	2	20
		खैरखेड़ी	2	20
4	पेनगाँव	पेनगाँव	2	20
		चांदोनीगढ़ी	2	20
5	वाढेर	टीलाखुर्द	2	20
	कुल		20	200

चयनित ग्रामों में से अध्ययन हेतु 2–2 समहित समूहों का चयन किया गया है। इस प्रकार 10 ग्रामों में से कुल 20 समहित समूहों का चयन अध्ययन हेतु किया गया। प्रत्येक चयनित समहित समूह से 10 सदस्यों का चयन किया गया है अर्थात् कुल 20 समहित समूह में से 200 सदस्यों का चयन अध्ययन हेतु किया गया है। इन 200 सदस्यों का साक्षात्कार हेतु चयन उपलब्धता के आधार पर किया गया। इन चयनित उत्तरदाताओं में से उस समूह की अध्यक्षा और सचिव का चयन उद्देश्यपूर्ण

निदर्शन के माध्यम से किया गया जिससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को बनाए रखा जा सके।

3.5 यंत्र एवं प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक स्त्रोत द्वारा आंकड़ों के संग्रहण के लिए मुख्यतः अर्द्ध–संरचित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त सहभागी अवलोकन तथा सामूहिक साक्षात्कार तथा साक्षात्कार निर्देशिका के माध्यम से भी आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। साक्षात्कार के संबंध में पी.वी.यंग ने कहा है कि साक्षात्कार एक ऐसी क्रमबद्ध प्रणाली है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश करता है जिससे वह सामान्यतः अपरिचित होता है। इसी प्रकार गुडे व हॉट ने भी इसे सामाजिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया माना है। प्रस्तुत अध्ययन में डीपीआईपी तथा समहित समूहों की कार्यप्रणाली से संबंधित कानूनी प्रावधानों के विश्लेषण के लिए मुख्यतः द्वितीयक स्त्रोत से आंकड़ों का संग्रहण किया गया है। वहीं आंकड़ों की गुणात्मकता के लिए केस अध्ययन का उपयोग किया गया है। केस स्टडी के संबंध में पी.वी.यंग ने कहा है कि यह किसी एक सामाजिक इकाई चाहे वह एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय क्यों न हो, के जीवन की खोज तथा विश्लेषण की पद्यति है। द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से भी कई प्रकार की जानकारी एकत्र की गई है, जिसका उपयोग अध्ययन में आवश्यकतानुसार किया गया है।

आंकड़ो के संग्रहण के बाद उसका सारणीयन तथा विश्लेषण किया गया। विश्लेषण के बाद उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तालिकाओं का अध्यायीकरण किया गया। इसी क्रम में प्रथम अध्याय प्रस्तावना के अंतर्गत महिलाओं की स्थिति, महिलाओं में साक्षरता दर, लिंगानुपात, ऐतिहासिक दृष्टि से विभिन्न धर्मों में महिलाओं की स्थिति, भारत में विभिन्न कालखण्डों में महिलाओं की स्थिति को विश्लेषित किया गया है। दूसरे अध्याय में पूर्ववर्ती साहित्य का विश्लेषण किया गया है। तीसरे अध्याय में समहित समूहों का अध्ययन की विधि को विस्तार से विश्लेषित किया गया है। वहीं चौथे अध्याय में डीपीआईपी की कार्यप्रणाली को विश्लेषित किया गया है। पांचवे अध्याय में चयनित उत्तरदाताओं की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि को रेखांकित किया गया है। छटवे अध्याय में समहित समूहों की चयनित महिलाओं का विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया है। सातवे अध्याय में अध्ययन का निष्कर्ष और उस आधार पर कुछ तृणमूल स्तर के सुझाव देने का प्रयास किया गया है।